



ज्ञान शान्ति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

विनोद वैद्य

Vinod Vaidya

सहायक कुलसचिव/प्रभारी (परिसर विकास)

Assistant Registrar/ Incharge (Campus Development)

पत्रांक नं. 34/2020-21/Quarter Allotment/29-5/ 703

दिनांक 10.02.2025

सूचना

विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि अध्यापकों, अस्थायी कर्मचारियों एवं परियोजना में कार्यरत शोध अनुषंगी, शोध सहायक, क्षेत्र अन्वेषक को सूचित किया जाता है कि 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर विश्वविद्यालय परिसर स्थित कुछ रिक्त ट्रांजिट आवास का आवंटन किया जाना है।

इस हेतु इच्छुक अतिथि अध्यापकों, अस्थायी कर्मचारियों एवं परियोजना में कार्यरत शोध अनुषंगी, शोध सहायक, क्षेत्र अन्वेषक द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने विभाग प्रमुख के माध्यम से आवेदन दिनांक 24.02.2025 तक कुलसचिव कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार एक माह पूर्व की नोटिस देकर ट्रांजिट आवास रिक्त करने हेतु सहमति पत्र देना होगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत है।


(विनोद वैद्य)

प्रतिलिपि :

1. कुलपति सचिवालय
2. कुलसचिव
3. वित्ताधिकारी
4. प्रभारी, लीला (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
5. संबंधित पत्रावली

शर्तें

1. प्रत्येक ट्रांजिट आवास के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में एकमुश्त राशि ₹ 3,500/- प्रतिमाह, पानी शुल्क हेतु ₹ 100/- प्रतिमाह तथा अन्य आवासों के लिए निर्धारित नियमानुसार बिजली शुल्क वास्तविक रीडिंग के आधार पर देय होगा, जिसको सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत निर्धारित माना जायेगा।
2. आवंटी को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिसूचना का अनुपालन करना होगा तथा लाइसेंस शुल्क, बिजली एवं पानी शुल्क संबंधी संशोधन/संशोधित दरें लागू होंगी।
3. आवास आवंटन हेतु विश्वविद्यालय के अतिथि अध्यापक, अस्थायी कर्मचारियों एवं परियोजनाओं में कार्यरत शोध अनुषंगी, शोध सहायक, क्षेत्र अन्वेषक द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने विभाग प्रमुख के माध्यम से आवेदन करना होगा।
4. 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर उपलब्धतानुसार आवेदनों पर विचार किया जाएगा।
5. यदि आवास आवंटन के सात (07) दिनों के भीतर आवंटन को स्वीकार करने में आवंटी विफल रहता है, तो आवंटन स्वयमेव रद्द माना जाएगा और आवंटी को एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटन से वंचित कर दिया जाएगा।
6. जिन आवंटियों का वेतन सीधे विश्वविद्यालय से होता है, उनके वेतन से लाइसेंस शुल्क एवं अन्य शुल्कों की कटौती की जाएगी। जिन आवंटियों का वेतन आउटसोर्सिंग के माध्यम से होता है, उन आवंटियों को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में बिल जारी होने के उपरांत लाइसेंस शुल्क एवं अन्य शुल्कों का भुगतान विश्वविद्यालय के खाते में करना होगा और रसीद परिसर विकास विभाग में जमा करनी होगी।
7. आवंटित आवास परिवार के साथ निवास के उद्देश्य से आपके वास्तविक उपयोग के लिए है। 'परिवार' का अर्थ है - कर्मचारी का जीवनसाथी और बच्चे, सौतेला बच्चा, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे, माता-पिता, भाई, बहन जो सामान्यतः कर्मचारी के साथ होते हैं और उस पर निर्भर होते हैं।
8. आवंटी आवास का कुछ या पूरा हिस्सा किराये पर नहीं देगा। यदि वह नियमों के उल्लंघन में निवास या उसके किसी हिस्से को किराए पर देता है, तो उससे नोटिस अवधि के दौरान सामान्य लाइसेंस शुल्क का दस गुना लाइसेंस शुल्क वसूला जाएगा।
9. आवंटी एक माह की पूर्व सूचना देकर आवास रिक्त कर सकता है तथा विश्वविद्यालय प्रशासन आवंटी को पूर्व सूचना देकर किसी भी समय बिना किसी शर्त के आवास रिक्त कर सकता है।
10. आवंटी द्वारा आवास धारण करने के बाद आवास में टूट-फूट या फर्नीचर, फिक्स्चर या फिटिंग या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की किसी भी क्षति के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी क्षति के लिए परिसर विकास विभाग के आकलनानुसार राशि वसूली जाएगी।
11. आवंटी को अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने होंगे।
12. आवंटी को आवास और परिसर में स्वच्छता बनाये रखनी होगी।
13. आवास आवंटन अथवा निरसन से संबंधित समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होंगे।

आवास आवंटन हेतु आवेदन फार्म
APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF TRANSIT HOSTEL
(पहले आओ पहले पाओ / FIRST CUM FIRST SERVE)

1. आवेदक का पूरा नाम FULL NAME (in block letters) :
2. पदनाम DESIGNATION :
3. विभाग DEPARTMENT :
4. सेवा की स्थिति SERVICE STATUS :
5. जन्म तिथि DATE OF BIRTH :
6. लिंग SEX (MALE / FEMALE) :
7. वैवाहिक स्थिति MARITAL STATUS :
8. परिवार के सदस्यों का विवरण- स्वयं सहित
DETAILS OF THE MEMBERS OF FAMILY INCLUDING SELF:

Sl No.	Name	Age	Relationship	Profession If any,	Whether dependent or not
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

9. स्थायी/गृहनगर का पता व मोबाइल नम्बर
PERMANENT / HOME TOWN ADDRESS :

तारीख Date _____

हस्ताक्षर Signature _____

पदनाम Designation _____

कार्यालय का नाम

Name of the Office _____

सहमति पत्र

आवास आवंटित होने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त शर्तें मुझे मान्य हैं। मैं आश्वस्त करता/करती हूँ कि इन शर्तों का मेरे द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

तारीख Date _____

हस्ताक्षर Signature _____

पदनाम Designation _____

कार्यालय का नाम

Name of the Office _____